FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0007 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/01/2026 10:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 03/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:42 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/01/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/01/2026 10:58:23 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM SEVA SAHAKARI SAMITI LTD., DHATOL,, TEHASIL BHINAY JILA AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANGALA RAM GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BALU RAM GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GURJARO KA MOHALLA GRAM DHATOL, BHINAY, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GURJARO KA MOHALLA GRAM DHATOL, BHINAY, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARMESHWAR KUMAR PARJAPAT		पिता:JETHMAL PARJAPAT	1. RAIN GET WARD NO.21,KAILASHPURI DHANOTA,BHINAY,AJMER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर विषय कानुनी कार्यवाही हेतु महोदय उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मै मंगलाराम पुत्र श्री बालु जी निवासी धातोल तहसील भिनाय ग्राम पंचायत धातोल का रहने वाला हुं। मेरी ग्राम धातोल मे मेरी पत्नि के नाम जमीन है जिसका खसरा नम्बर 222 है कि 12 बीधा है जिसका प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना मे वर्ष 2024-25 मे रबी की फसल का बीमा करवाया था। जिसके मुआवजे के रूप मे 62000 रूपये मेरी पत्नि के खाते मे है इसके अलावा हमारी पैतृक जमीन का भी मुआवजा मेरे द्वारा ही लेनदेन किया जाता है । जिसका ग्राम सहकारी समिति धातोल मे खाता है और जमीन कुल 35 बीधा है। जिसमे नोमेनी के रूप मे मेरा ही नाम है। इस खाते मे 141000 रूपये आये है मुआवजे के रूप मे ग्राम सहकारी समिति धातोल का व्यवस्थापक श्री परमेश्वर प्रजापत जो कि बीमा की राशि जो आयी है उसको पास करने की एवज मे आधी राशि मांग रहा है। नही तो आगे से किसी भी प्रकार की बीमा राशि पास नही करवाने की धमकी दे रहा है। मेरी पत्नि सायरी गुर्जर कोआपरेटिव का खाता नम्बर है और मेरे पिताजी के खाता नम्बर है जिसका नौमेनी मे हु। मैं सरकार तरफ से मिलने वाली मुआवजा राशि व्यवस्थापक श्री परमेश्वर प्रजापत को उसकी नाजायज मांग के अनुसार रिश्वत नही देना चाहता हू तथा उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। इससे मेरा किसी प्रकार का कोई लेनदेन या दुश्मनी नही है। मंगलाराम पुत्र श्री बालुराम जाति गुर्जर निवासी गुजरो का मौहल्ला धातोल मोबाईल कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेरप्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 03.11.25 समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री मंगलाराम पुत्र श्री बालुराम जाति गुर्जर उम्र 36 वर्ष निवासी बैरवा मौहल्ला वार्ड नं0 02 ग्राम धातोल तहसील व पुलिस थाना भिनाय जिला अजमेर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट,अजमेर के कार्यालय मे उपस्थित आया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मै उपरोक्त पते का मूल निवासी हॅू तथा मेरे ग्राम धातोल मे मेरी पत्नि श्रीमती सायरी देवी के नाम से खसरा नं0 222 मे करीब 12 बीघा भूमि स्थित है। इसके अलावा मेरी पुश्तैनी जमीन करीब 35 बीघा अलग से है। उक्त दोनो जमीन की देख-रेख एवं फसल का कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है। मेरी पत्नि के 12 बीघा भूमि के करीब 62000 रू0 तथा मेरी पुश्तैनी भूमि के 141000 रूपये मुआवजे के रूप मे खाते मे जमा आए है। उक्त दोनो भूमियों के फसल बीमे की राशि को पास करने की एवज मे हमारे ग्राम सहकारी समिति धातोल के व्यवस्थापक श्री परमेश्वर प्रजापत द्वारा पारीत राशि मे से आधी राशि रिश्वत के रूप मे मांग कर रहा है तथा राशि नहीं देने पर बीमा राशि पास नहीं करने की धमकी दे रहा है। मेरी पत्नि एवं मेरे पिता के को-आपरेटिव सोसायटी मे खाते का नोमीनी मे स्वयं हॅू। मै प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2024-25 रबी फसल की मिलने वाली मुआवजा राशि पास करने के बदले मे व्यवस्थापक श्री परमेश्वर प्रजापत को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हॅू तथा उसे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के सम्बन्ध मे दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेने मेरे परिवार मे भाई श्री कानाराम से लिखवाया है तथा उस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। मेरी आरोपी से किसी प्रकार की कोई रंजिश अथवा द्वेषभावना नही है एवं ना ही मेरी ग्राम सहकारी समिति धातोल मे किसी प्रकार की राशि बकाया है। आरोपी से मेरा किसी प्रकार का कोई उधार का लेन-देन भी शेष नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये जाने पर मामला पी0सी0 एक्ट से सम्बन्धित होना पाये जाने पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा उपस्थित परिवादी को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन किये जाने हेतु आवश्यक समझाईश की गयी तो परिवादी ने अवगत कराया कि आज आरोपी उपस्थित नहीं है तथा आईन्दा आरोपी की उपस्थिति एवं रिश्वत मांगने के सम्बन्ध मे वार्ता होने के उपरान्त आपको सूचित कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दूंगा। बाद आवश्यक हिदायत के परिवादी को रूख्स्त कर प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षित आलमारी मे रखे गये। दिनांक 23.12.25 समय 07.30 एएम पर परिवादी श्री मंगलाराम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया को जरिए दूरभाष सूचना प्रदान की कि आज आरोपी श्री परमेश्वरलाल प्रजापत अपने कार्यालय मे उपस्थित आएंगे तथा उनसे आज मेरी रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध मे वार्ता हो सकती है। मै आपके कार्यालय मे उपस्थित आ चूका हॅू। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया परिवादी श्री मंगलाराम को कार्यालय मे उपस्थित रहने

के निर्देश प्रदान कर कार्यालय मे उपस्थित आयी तथा परिवादी से आवश्यक दरियाफ्त की जाकर रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध मे आवश्यक वार्ता की गयी। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाकर कार्यवाही की जाने हेतु श्री नरेन्द्र सिंह निरीक्षक पुलिस, भ्र0नि0ब्यूरो, अजमेर को तलब किया। श्री नरेन्द्र सिंह निरीक्षक पुलिस के कार्यालय मे उपस्थित आने पर परिवादी व उनका आपस मे एक दूसरे से परिचय कराया जाकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुरक्षित हालात मे सम्भलाया जाकर कार्यवाही की जाने के निर्देश प्रदान किये गए। परिवादी श्री मंगलाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे निरीक्षक पुलिस द्वारा आवश्यक पुछताछ की गयी तो परिवादी ने अवगत कराया कि मेरे ग्राम धातोल मे मेरी पत्नि श्रीमती सायरी देवी के नाम से खसरा नं0 222 मे करीब 12 बीघा भूमि स्थित है, इसके अलावा मेरी पुश्तैनी जमीन करीब 35 बीघा अलग से है। उक्त दोनो जमीन की देख-रेख एवं फसल का कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है। मेरी पत्नि के 12 बीघा भूमि के करीब 62000 रू0 तथा मेरी पुश्तैनी भूमि के 141000 रूपये मुआवजे के रूप मे खाते मे जमा होते है। उक्त दोनो भूमियों के फसल बीमे की राशि को पास करने की एवज मे हमारे ग्राम सहकारी समिति धातोल के व्यवस्थापक श्री परमेश्वर प्रजापत द्वारा पारीत राशि मे से आधी राशि की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है तथा राशि नहीं देने पर बीमा राशि पास नहीं करने की धमकी दे रहा है। मेरी पत्नि एवं मेरे पिता के को-आपरेटिव सोसायटी के खाते का नोमीनी मे स्वयं हॅू। मै प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2024-25 रबी फसल की मिलने वाली मुआवजा राशि पास करने के बदले मे व्यवस्थापक श्री परमेश्वर प्रजापत को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हॅू तथा उसे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के सम्बन्ध मे दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेने मेरे परिवार मे भाई श्री कानाराम से लिखवाया है तथा उस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। मेरी आरोपी से किसी प्रकार की कोई रंजिश अथवा द्वेष भावना नही है एवं ना ही मेरी ग्राम सहकारी समिति धातोल मे किसी प्रकार की राशि बकाया है। आरोपी से मेरा किसी प्रकार का कोई उधार का लेन-देन भी शेष नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये जाने पर मामला पी0सी0 एक्ट का बनना पाये जाने पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से एसीबी एसयू अजमेर के कार्यालय से एक नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाया जाकर डिजीटल वाइस रेकार्डर सहित कार्यालय के श्री अर्जुनलाल कानि0 नं0 244 को तलब किया जाकर श्री अर्जुन कानि0 व परिवादी का आपस मे एक दूसरे से परिचय करवाया जाकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराते हुए रिश्वत राशि मांग सत्यापन के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात कार्यालय का सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर मय एक नया खाली मैमोरी कार्ड के श्री अर्जुन कानि. व परिवादी को उसके स्वयं के निजी वाहन से भिनाय की और रवाना किया। मन् निरीक्षक पुलिस जाय तैनाती रवाना हुआ। कुछ समय पश्चात कार्यालय के श्री अर्जुन कानि ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन सूचना प्रदान की कि मैं व परिवादी कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 11.00 एएम पर ग्राम धातोल स्थित ग्राम सहकारी समिति के पास पहुचे। जहा परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वार्यस रिकार्डर मय खाली मैमोरी कार्ड संधारित कर चालू किया जाकर ग्राम सहकारी समिति की और रवाना किया। मैं ग्राम सहकारी समिति के आस-पास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए की जाने वाली वार्ता को देखने के प्रयास मे खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर ग्राम सहकारी समिति धातोल से व्यवस्थापक श्री परमेश्वर प्रजापत से वार्ता कर मेरे पास आया। मैने परिवादी से वायस रिकार्डर चालू हालात मे प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे मे लिया तथा परिवादी ने अवगत कराया कि मेरी व्यवस्थापक श्री परमेश्वर प्रजापत से वार्ता हो चुकी है। उन्होने मेरे से मेरी पत्नि श्रीमती सायरी देवी व मेरी पुश्तैनी भूमि की रबी की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2024-25 की राशि का मुआवजा पास करने की एवज मे 30000 रू0 रिश्वत राशि के रूप मे मांग की है, जो वायस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे दर्ज है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के श्री अर्जुन कानि0 को आवश्यक हिदायत देकर परिवादी सहित उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये। जिस पर परिवादी श्री मंगलाराम ने मन् निरीक्षक पुलिस से श्री अर्जुन कानि0 के मोबाईल से वार्ता कर अवगत कराया कि आरोपी श्री परमेश्वर प्रजापत ने रिश्वत राशि लेन-देन का समय नहीं बताया है तथा मेरे पास अभी रिश्वत राशि की व्यवस्था भी नहीं है। आईन्दा आरोपी से रिश्वत लेन-देन के सम्बन्ध मे वार्ता होने एवं मेरे पास रिश्वत की व्यवस्था होने पर मै स्वयं आपके पास उपस्थित आ जाउंगा। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय के श्री अर्जुन कानि0 से वार्ता कर परिवादी को रूख्स्त कर कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये। मन् निरीक्षक पुलिस कार्यालय एसीबी एसयू-अजमेर पर उपस्थित आया। कुछ समय पश्चात श्री अर्जुन कानि0 मय डिजीटल वाइस रेकार्डर मूल मैमोरी कार्ड सहित उपस्थित आया तथा डिजीटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर के मैमे◌ारी कार्ड मे दर्ज आवाज को चालू कर सुना गया तो कानि0/परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई। कार्यालय का मूल डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित हालात मे रखा। दिनांक 31.12.25 को परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर ने मन् निरीक्षक पुलिस को दूरभाष सूचना प्रेषित कर अवगत कराया कि दिनांक 01.01.26 को आरोपी अपने कार्यालय मे उपस्थित रहेगा तथा मेरी उनसे वार्ता हुयी है। मै कल आपके एसीबी कार्यालय अजमेर मे उपस्थित आकर रिश्वत राशि लेन-देन की कार्यवाही करवा सकता हॅू तथा मेरे पास रिश्वत राशि 30000 रू0 की व्यवस्था भी हो चुकी है। मन् निरीक्षक

पुलिस द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर दिनांक 01.01.2026 को कार्यालय समय 09.30 एएम पर उपस्थित आने के निर्देश प्रदान किये। ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जाने हेतु गवाह की तलबी की जाने हेतु श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस को तहरीर दी जाकर गवाह तलबी हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अजमेर भिजवाया गया। जहां से श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक तलबशुदा गवाह सहित मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय मे उपस्थित आए। गवाह को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछकर की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही के सम्बन्ध मे अवगत कराते हुए स्वतन्त्र गवाह रहने हेतु जानकारी दी गयी। गवाहान को दिनांक 01.01.26 को प्रातः 08.30 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित आने के निर्देश प्रदान कर रूखस्त किया गया तथा कार्यालय स्टाफ को भी प्रातः ट्रेप कार्यवाही मे सम्मिलित होने हेतु निर्देश दिये गए। दिनांक 01.01.2026 को परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर उपस्थित कार्यालय आया व मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मै आज रिश्वत राशि 30000 रू0 लेकर आया हॅू। मेरी आरोपी से रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध मे पूर्व मे भी वार्ता हो चुकी है तथा वार्तानुसार आज श्री परमेश्वर व्यवस्थापक से रिश्वत राशि का लेन-देन हो सकता है। कुछ समय पश्चात तलबशुदा गवाह श्री अंकित चोधरी व करण यादव जिला आबकारी अधिकारी उपस्थित कार्यालय आए। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु उपस्थित परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर से उपस्थित उपरोक्त गवाहान का एक-दूसरे से आपस मे परिचय करवाया जाकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए बाद आवश्यक हिदायत के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटाप की सहायता से आरोपी व परिवादी के मध्य वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता के मुख्य-मुख्य अंशों को सुनाया गया। परिवादी श्री मंगलाराम व आरोपी श्री परमेश्वर प्रजापत व्यवस्थापक ग्राम सहकारी समिति धातोल पंचायत समिति भिनाय के मध्य दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता दिनांक 23.12.25 जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर के मैमेारी कार्ड में दर्ज की गई है जिसकी फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वार्ता अलग से तैयार की जानी है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया, गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने अपनी सन्तुष्टि जाहिर की। डिजीटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दिनांक 23.12..25 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने आरोपी श्री परमेश्वर प्रजापत द्वारा परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर की ग्राम धातोल मे अपनी पत्नि श्रीमती सायरी देवी व मेरी पुश्तैनी भूमि की रबी की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2024-25 की राशि का मुआवजा पास करने की एवज मे 30000 रू0 रिश्वत राशि के रूप मे मांग की है की गई वार्ता कार्यालय के वायस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे दर्ज है। उपस्थित गवाहान द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान सम्मलित होने की अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। ब्यूरो की प्रक्रियानुसार कार्यालय के श्री अर्जुन कानिस्टेबल नं0 244 से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से आपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट शब्द-ब-शब्द तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज की हेश-टैग वेल्यू कार्यालय के कम्प्यूटर से निकाली जाकर प्रिण्ट पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गए। मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई वार्ता के कम्प्यूटर की सहायता से तीन पैन-ड्राईव तैयार किये गए। मूल मैमोरी कार्ड को निरन्तरता की जांच के लिये कपड़े की थैली मे डालकर एफ0एस0एल0 हेतु तथा एक पैन-ड्राईव को कपड़े की थेली में डालकर न्यायालय हेतु तथा दूसरे अन्य पैन-ड्राईव को कपड़े की थैली में पृथक से डालकर आरोपी हेतु सील चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया जाने हेतु मालखाना ईन्चार्ज श्री बुद्धराज सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द किया गया। शेष अन्य पैन-ड्राईव को कागज के लिफाफे में रख कर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी श्री मंगलाराम को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री परमेश्वर प्रजापत व्यवस्थापक ग्राम सहकारी समिति शाखा धातोल तहसील भिनाय जिला अजमेर को कहा तो परिवादी श्री मंगलाराम ने अपनी जेब में से पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30000 रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट की राशि प्रस्तुत कीं। प्रस्तुतशुदा रिश्वती राशि 30000 रूपये के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटो के दोनों ओर कार्यालय के श्री जगदीश प्रसाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को समझाया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व बृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शैामिल पत्रावली की। समस्त स्टाफ एवं गवाहान के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवायें जाकर परिवादी श्री मंगलाराम को आरोपी श्री परमेश्वर प्रजापत व्यवस्थापक को रिश्वत राशि देने के उपरान्त किये जाने वाले ईशारे के बारे में अवगत कराया गया तथा आवष्यक हिदायत बरतने के निर्देश प्रदान किये गए। दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर को आरोपी की उपस्थिति के सम्बन्ध मे जानकारी चाहने हेतु कहा तो परिवादी ने अपने परीचितों से आरोपी की उपस्थिति के बारे मे जानकारी की तो आरोपी अपने कार्यालय से आज जल्दी ही निकल जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी के बाहर होने की सूचना होने से आज ट्रेप कार्यवाही की जाना संभव नहीं है। परिवादी से गवाहान की मौजुदगी मे रिश्वत राशि नोटो को

निकलवाकर एक सफेद कागज के लिफाफे मे रखवायी जाकर सुरक्षित मालखाने मे श्री बुद्धराज स0उ0नि0 को सुपुर्द कर रखवायी गयी तथा परिवादी को आईन्दा आरोपी की उपस्थिति की जानकारी कर सूचना प्रदान करने के निर्देश देकर परिवादी एवं गवाहान को बाद आवश्यक हिदायत के रूख्स्त किया गया। दिनांक 02.01.26 पर परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर ने कार्यालय के श्री अर्जुन कानि0 नं0 244 को जरिए दूरभाष सूचना प्रदान की कि जरिए सूत्र मालुम किये जाने पर श्री परमेश्वर प्रजापत व्यवस्थापक आज अपने कार्यालय मे उपस्थित आने की पूर्ण संभावना है तथा आज उनसे रिश्वत राशि का लेन-देन भी हो सकता है। प्राप्त सूचना कानि0 द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को दी गयी। जिस पर कार्यालय के स्टाफ व स्वतन्त्र गवाहान को अविलम्ब कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये। दिनांक 02.01.26 को प्रातः मन् निरीक्षक पुलिस मय गवाहान व कार्यालय का स्टाफ के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु कार्यालय के श्री जगदीश प्रसाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी को तलब कर मालखाना ईन्चार्ज श्री बुद्धराज स0उ0नि0 से आरोपी एवं परिवादी के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के समय दी जाने वाली रिश्वत राशि का मूल लिफाफा निकलवाया जाकर श्री जगदीश प्रसाद को सुपुर्द करवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कर ग्राम घातोल मे ही उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये। कुछ समय पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश स.उ.नि., श्री बुधराज स.उ.नि. ,श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री लखन कानि0 420, श्री अर्जुन कानि. 244, श्री अजीत सिंह कानि0 05 व स्वतन्त्र गवाह श्री अंकित चोधरी व श्री करण यादव तथा श्री जगदीश प्रसाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मय रिश्वत राशि लिफाफे सहित कार्यालय के सरकारी वाहन एवं प्राइवेट वाहन मय वाइस रेकार्डर मय नया खाली मैमोरी कार्ड इश्यू करवाकर कार्यालय के श्री मनीष कुमार चालक के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेप-टाप व प्रिन्टर के बाद आवश्यक हिदायत के भिनाय की ओर रवाना होकर धातोल स्थित चैराहे के पहले पहुचे। जहा पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री मंगलाराम उपस्थित मिला जिससे आरोपी के बारे मे आवश्यक जानकारी ली गयी तो उसने बताया कि आरोपी अभी तक अपने कार्यालय मे नहीं आया है। आज सर्दी अधिक होने की वजह से शायद वह विलम्ब से ही कार्यालय मे आ सकता है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान के धातोल ग्राम के आस-पास मुकीम रहकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी के कार्यालय मे आने के ईन्तजार मे उपस्थित रहे। काफी समय हो जाने के पश्चात भी आरोपी के कार्यालय मे उपस्थित नहीं आने पर परिवादी से पुनः आरोपी के बारे मे जानकारी प्राप्त की तो परिवादी ने बताया कि आज समय अधिक हो चुका है, शायद वह अपने कार्यालय मे नहीं आएगा। अतः आरोपी के उपस्थित आने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हो सकती है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आरोपी की उपस्थिति के बारे मे पुख्ता जानकारी कर सूचना दिए जाने हेतु पाबन्द किया जाकर रूख्स्त किया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान के ग्राम धातोल से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय एसयू-अजमेर वापस आया। जहां श्री जगदीश प्रसाद से रिश्वत राशि नोट के लिफाफे को सुरक्षित हालात मे प्राप्त कर मालखाना ईन्वार्ज श्री बुधराज एएसआई को मालखाने मे रखे जाने हेतु सुपुर्द किया गवाहान को आवश्यक समझाईश कर रूख्स्त किया गया। दिनांक 03.01.26 को परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर ने कार्यालय के श्री अर्जुन कानि0 नं0 244 को जरिए दूरभाष सूचना प्रदान की कि श्री परमेश्वर प्रजापत व्यवस्थापक के आज अपने कार्यालय मे उपस्थित आने की पूर्ण संभावना है तथा आज उनसे रिश्वत राशि का लेन-देन भी हो सकता है। प्राप्त सूचना कानि0 द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को दी गयी। जिस पर कार्यालय के स्टाफ व स्वतन्त्र गवाहान को अविलम्ब कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये। गवाहान व कार्यालय का स्टाफ के उपस्थित आने पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु कार्यालय के श्री जगदीश प्रसाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी को तलब कर मालखाना ईन्चार्ज श्री बुधराज स0उ0नि0 से आरोपी एवं परिवादी के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के समय दी जाने वाली रिश्वत राशि का मूल लिफाफा निकलवाया जाकर श्री जगदीश प्रसाद को सुपुर्द करवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कर ग्राम घातोल मे ही उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ, स्वतन्त्र गवाहान तथा श्री जगदीष प्रसाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मय रिश्वत राशि लिफाफे सहित कार्यालय के सरकारी वाहन एवं प्राइवेट वाहन मय वाइस रेकार्डर मय नया खाली मैमोरी कार्ड इश्यू करवाकर कार्यालय के श्री मनीष कुमार चालक के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेप-टाप व प्रिन्टर के भिनाय की ओर रवाना होकर ग्राम धातोल स्थित चोराहे के पहले पहुचे। जहा पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री मंगलाराम उपस्थित मिला जिससे आरोपी के बारे मे आवश्यक जानकारी ली गयी तो उसने बताया कि आरोपी अपने कार्यालय मे बैठा हुआ है तथा अभी उससे रिश्वत राशि का लेन-देन हो सकता है। इस पर कार्यालय के श्री जगदीश प्रसाद से रिश्वत राशि को लिफाफे मे से निकलवाया जाकर राशि की गणना कर 30000 रू0 के फिनोफ्थलीनयुक्त नोटो को गवाहान के समक्ष श्री जगदीश प्रसाद से परिवादी की पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखवाये गए तथा उक्त लिफाफा जिसमे रिश्वत राशि रखी हुयी थी को मौके पर ही गवाहान के समक्ष जलवाया जाकर नष्ट किया गया। परिवादी को रिश्वत राशि प्राप्ति के निर्धारित ईशारे से अवगत कराकर मय कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड संधारित कर चालू किया जाकर सुपुर्द किया गया तथा बाद आवश्यक हिदायत के परिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु ग्राम सहकारी समिति धातोल के लिये रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के कार्यालय के वाहनों को साईड मे खडा कर ग्राम सहकारी समिति धातोल के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी

के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकिम रहे। श्री जगदीश प्रसाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मौके से कार्यालय मे पहुचने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर ने कार्यालय ग्राम सेवा सहकारी समिति धातोल के परिसर मे खडे होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ,गवाहान को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। ईशारे को पाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ स्वतन्त्र गवाहान को हमराह लेकर परिवादी के पास कार्यालय ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के परिसर मे पहुंचे। जहां परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर ने मन् निरीक्षक पुलिस को कार्यालय का सरकारी डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू हालत मे निकालकर प्रस्तुत किया। जिसे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित हालात मे रखा। तत्पश्चात परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर ने मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यालय मे मौजुद है, जिसे मेरे द्वारा रिष्वत राषि की मांग करने पर 30000 रूपये दिये है, जो 30,000 रू0 उसने मेरे से प्राप्त कर मेरे सामने ही गिनकर अपने सैल्समेन श्री सुवालाल रावत को दे दिये है । श्री सुवालाल रावत द्वारा उक्त रूपये गिनकर मेरे सामने ही अपनी पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रख लिये। उसके पश्चात मै रिश्वत राशि देकर कार्यालय से बाहर आकर आपको देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के आधार पर परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर को हमराह लेकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ, गवाहान के आरोपी के ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यालय पर पहुंचे। जहां परिवादी ने सामने कुर्सी पर बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही परमेश्वर कुमार प्रजापत है, जिसने अभी-अभी मेरे से 30000 रू0 की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने हाथों से गिनकर इनके पास उपस्थित श्री सुवालाल रावत को दिये थे, जो सुवालाल द्वारा गिनकर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रख लिये तथा पास ही उपस्थित व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही सुवालाल रावत है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान स्टाफ, गवाहान व परिवादी का परिचय दिया जाकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत पुत्र श्री जेठमल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 32 वर्ष निवासी रैण गेट वार्ड नं0 21, कैलाशपुरी भिनाय, जिला अजमेर हाल सहायक व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल पंचायत समिति व तहसील भिनाय, जिला अजमेर होना अवगत कराया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत को परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर से ली गई रिश्वत राशि 30000 रूपये के सम्बन्ध मे पूछताछ की तो श्री परमेष्वर कुमार प्रजापत चुप रहा तथा कुछ नही बोला। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को तसल्ली देकर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध मे पुनः पूछा तो आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि अभी थोडी देर पहले श्री मंगलाराम गुर्जर मेरे पास आया था, जिसने मेरे को 30,000 रूपये दिये है, जो मेरे द्वारा गिनकर अपने सैल्समेन श्री सुवालाल रावत को गिनने हेतु दिये है, जो सुवालाल की पहनी हुयी पेन्ट की जेब मे रखे हुए है। आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत से परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर से ली गई 30000 रूपये की रिष्वत राषि के सम्बन्ध मे पूछा कि आपने उक्त रूपये श्री मंगलाराम से किस बात के लिए है, तो आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि उक्त 30000 रू0 श्री मंगलाराम ने अपनी पत्नि के खाते मे जमा कराने हेतु मुझे दिये है, जो मैने गिनकर अपने सैल्समेन सुवालाल रावत को पुनः गिनने हेतु दिये थे। जो मेरे द्वारा उक्त राषि मंगलाराम गुर्जर की पत्नि के खाते मे जमा करनी थी, परन्तु कम्प्यूटर का सर्वर डाउन होने की वजह से मेने 30000 रू0 सुवालाल के पास ही रखे है। इस पर पास ही उपस्थित परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर ने आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण का खण्डन करते हुए स्वतः ही बताया कि आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत झूंठ बोल रहे है। मेरे किसी प्रकार का कोई ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मे मेरी पत्नि एवं मेरे परीवारजनों के नाम से कोई राशि जमा करायी जाना शेष नहीं है, आप मेरे बैंक खाते के स्टेटमेंट को निकालकर देख सकते है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पुनः आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत से परिवादी द्वारा बताये गए तथ्यों के सम्बन्ध मे पूछताछ की गई तो आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत चुप रहा तथा कोई प्रतिउत्तर नही दिया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत को परिवादी एवं उसकी पत्नि व परीवारजनों के नाम से बकाया राषि जमा किये जाने के सम्बन्ध मे दस्तावेज पेष करने हेतु कहा तो आरोपी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं होना अवगत कराया। परिवादी से आरोपी श्री परमेष्वर कुमार प्रजापत के द्वारा प्राप्त 30000 रूपये की रिष्वत राषि अपने सैल्समेन श्री सुवालाल रावत को गिनने हेतु दिये जाने के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि श्री सुवालाल को दिये गए उक्त रूपयों के बारे मे उसको कोई जानकारी नहीं है, मेने तो उक्त रूपये उसे गिनने हेतु दिये है। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पास ही उपस्थित उक्त खडे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय दिया जाकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुवालाल रावत पुत्र श्री गोपाल रावत जाति रावत उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं0 03 ग्राम सूरजपुरा पोस्ट धातोल तहसील भिनाय पुलिस थाना भिनाय जिला अजमेर हाल सैल्समेन ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल होना अवगत कराया तथा स्वयं को ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल द्वारा कृषकों को कृषि सम्बन्धी इफको की दवाईयों एवं कार्यालय की साफ-सफाई व देख-रेख करने हेतु प्रति माह 6000 रूपये के हिसाब से ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल मे पदस्थापित होना बताया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुवालाल रावत को परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर से प्राप्त किये गए 30000 रूपये के नोटो के सम्बन्ध मे पूछा तो श्री सुवालाल रावत

ने बताया कि अभी थोडी देर पहले श्री मंगलाराम गुर्जर कार्यालय मे आए थे, जिन्होने मेरे सामने ही 500-500 रूपये के नोट श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत को दिये थे, जो उन्होने गिनकर मुझे पुनः गिनने हेतु दिये है, जो मेरे द्वारा गिने जाकर श्री परमेष्वर कुमार प्रजापत के कहेनुसार अपनी पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे है। मुझे उक्त रूपयों के बारे मे कोई जानकारी नहीं है, मुझे तो गिनने हेतु दिये थे, जो मेने अपने पास रख लिये। इस पर पास ही उपस्थित परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर ने श्री सुवालाल रावत द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के तथ्यों को सही होना अवगत कराते हुएं बताया कि उक्त रूपये मेरे द्वारा श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत को दिये थे, जो उन्होने गिनकर पुनः गिनने हेतु श्री सुवालाल रावत को दिये थे, जो उसने मेरे समक्ष ही अपनी पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रख लिये। आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत द्वारा 30000 रूपये की रिष्वत राषि प्राप्त किये जाने की पूर्ण ताईद होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम मे स्वतंत्र गवाह श्री अंकित चोधरी से श्री सुवालाल रावत की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे रखी हुई राशि को निकलवाया जाकर उक्त नोटो को गिनवाया गया तो उक्त नोट 500-500 रूपये में गडढीनुमा मुद्रा मे होना पाये गये। उक्त 500-500 रूपये के नोटो को गवाहान से गिनवाया गया तो कुल 30000 रू0 की राषि होना पाये जाने पर उक्त राषि श्री सुवालाल रावत की पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब मे ही रहने दी गयी। मौके पर कार्यालय ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल के परिसर मे अन्य राजकीय कार्यालय पशु चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केन्द्र, राषन डीलर, पोस्ट आफीस के कार्यालय संचालित होने से काफी संख्या मे भीड-भाड एकत्रित होने से व्यवधान होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत सहायक व्यवस्थापक के दोनो हाथो को क्रमश पौचो के उपर से बायां व दाहिना हाथ श्री दामोदर कानि0 व श्री अर्जुन कानि0 व श्री सुवालाल रावत के दोनो हाथो को क्रमश पौचो के उपर से बायां व दाहिना हाथ श्री अजीत कानि0 व श्री लखन कानि0 से पकडवाये जाकर अलग-अलग सरकारी व प्राइवेट वाहन मे बैठाकर बरामदशुदा माल वजह सबूत मय मुल्जिमान के ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल से पुलिस चोकी बान्दनवाडा पुलिस थाना भिनाय पहुचे। जहां पुलिस चोकी पर पदस्थापित कानिस्टेबल श्री महेश कुमार कानि0 नं0 961 को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान स्टाफ, गवाहान, परिवादी व मुल्जिमान का परिचय देकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जाने हेतु कक्ष की व्यवस्था हेतु कहा तो कानि0 द्वारा चोकी ईन्चार्ज के कक्ष मे बैठकर कार्यवाही की जाने हेतु कक्ष उपलबध करवाया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रकियानुसार पुलिस चैकी बान्दनवाडा से एक साफ जग मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स मे से दो पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास निकलवाये गये। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के दोनो गिलासो को साफ पानी से धुलवाया गया। दोनो पारदर्शी गिलासो मे आधा-आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलासों मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे अलग-अलग पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो के घोल में आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने व बाए हाथो की अंगुलियो व अगुठे के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा-आधा भरकर चारों शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को क्रमंशः मार्क आर0एच0-1, आर0एच0-2 एवं बाएं हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क एल0एच0-1 व एल0एच0-2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उपरोक्त चारो शीषियों को कब्जे एसीबी ली गई। प्रयुक्तषुदा पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो को मौके पर नष्ट कराया गया। तत्पश्चात श्री सुवालाल रावत सैल्समेन ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल के दोनो हाथो का धोवण प्राप्त किया जाने हेतु ब्यूरो की प्रक्रियानुसार पृथक से दो पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास निकलवाये गये। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के दोनो गिलासो को साफ पानी से धुलवाया गया। दोनो पारदर्शी गिलासो मे आधा-आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलासो मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे अलग-अलग पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो के घोल में श्री सुवालाल रावत के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने व बाए हाथो की अंगुलियो व अगुठे के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा-आधा भरकर चारों शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को क्रमंशः मार्क आर0एच0एस0-1, आर0एच0एस0-2 एवं बाएं हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क एल0एच0एस0-1 व एल0एच0एस0-2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उपरोक्त चारो शीषियों को कब्जे एसीबी ली गई, प्रयुक्तशुदा पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो को नष्ट कराया गया। श्री सुवालाल रावत के वरवक्त शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब जिसमे से रिश्वत राशि 30000 रूपये बरामद हुई है उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री अंकित चोधरी से निकलवाये जाकर उक्त नोटो को दोनों स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व मे बनायी गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि नोट से मिलान कराया गया तो बरामदशुदा नोट 500-500 रूपये के कुल 60 नोट होकर कुल 30000 रूपये के नम्बरी नोटो के

नम्बर फर्द पेशकशी के अनुरूप हूबहू होना पाये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-पांच सौ रूपये का एक नोट 6 टी डी 783117पांच सौ रूपये का एक नोट 4 क्यू सी 866587पांच सौ रूपये का एक नोट 8 वी एफ 379874पांच सौ रूपये का एक नोट 8 एस वी 638778पांच सौ रूपये का एक नोट 0 एन डब्ल्यू 954802पांच सौ रूपये का एक नोट 3 क्यू एफ 883351पांच सौ रूपये का एक नोट 7 बी एफ 403145पांच सौ रूपये का एक नोट 7 बी एफ 403147पांच सौ रूपये का एक नोट 7 बी एफ 403149पांच सौ रूपये का एक नोट 8 आर के 601258पांच सौ रूपये का एक नोट 7 जी सी 594115पांच सौ रूपये का एक नोट 1 पी आर 381700पांच सौ रूपये का एक नोट 1 एच पी 521418पांच सौ रूपये का एक नोट 3 एच यू 348978पांच सौ रूपये का एक नोट 3 क्यू यू 102226पांच सौ रूपये का एक नोट 9 के सी 947207पांच सौ रूपये का एक नोट 0 क्यू जी 836807पांच सौ रूपये का एक नोट 9 ई यू 908286पांच सौ रूपये का एक नोट 1 वी बी 194582पांच सौ रूपये का एक नोट 4 वी के 770109पांच सौ रूपये का एक नोट 6 एन सी 959632पांच सौ रूपये का एक नोट 6 आर बी 731031पांच सौ रूपये का एक नोट 7 जी ए 538328पांच सौ रूपये का एक नोट 3 जी एस 718386पांच सौ रूपये का एक नोट 0 यू क्यू 593634पांच सौ रूपये का एक नोट 1 के डब्ल्यू 520869पांच सौ रूपये का एक नोट 6 डब्ल्यू एस 638846पांच सौ रूपये का एक नोट 0 क्यू आर 460266पांच सौ रूपये का एक नोट 3 बी यू 901486पांच सौ रूपये का एक नोट 4 टी डब्ल्यू 061913पांच सौ रूपये का एक नोट 4 बी डब्ल्यू 733298पांच सौ रूपये का एक नोट 4 बी डब्ल्यू 733299पांच सौ रूपये का एक नोट 6 डी पी 940847पांच सौ रूपये का एक नोट 1एम यू 972427पांच सौ रूपये का एक नोट 9 जी के 566550पांच सौ रूपये का एक नोट 0 एस ई 981456पांच सौ रूपये का एक नोट 6 यू ई 234070पांच सौ रूपये का एक नोट 4 डी एच 040721पांच सौ रूपये का एक नोट 7एम टी 896480पांच सौ रूपये का एक नोट 0 पी बी 697994पांच सौ रूपये का एक नोट 8 के एफ 794230पांच सौ रूपये का एक नोट 6 डी ई 228299पांच सौ रूपये का एक नोट 2 एन एन 887002पांच सौ रूपये का एक नोट 1 डब्ल्यू सी 848613पांच सौ रूपये का एक नोट 1 डब्ल्यू सी 848614पांच सौ रूपये का एक नोट 1 डब्ल्यू सी 848616पांच सौ रूपये का एक नोट 1 डब्ल्यू सी 848617पांच सौ रूपये का एक नोट 1 डब्ल्यू सी 848620पांच सौ रूपये का एक नोट 0 डब्ल्यू एम 168958पांच सौ रूपये का एक नोट 2 ए ए 340353पांच सौ रूपये का एक नोट 4 सी ए 201237पांच सौ रूपये का एक नोट 5 पी टी 335032पांच सौ रूपये का एक नोट 1 डब्ल्यू सी 848609पांच सौ रूपये का एक नोट 2 के क्यू 340019पांच सौ रूपये का एक नोट 6यू बी 165328पांच सौ रूपये का एक नोट 7 के एल 041457पांच सौ रूपये का एक नोट 6 ई डब्ल्यू 023340पांच सौ रूपये का एक नोट 4 के डी 920392पांच सौ रूपये का एक नोट 3 आर आर 963774पांच सौ रूपये का एक नोट 3ए सी 642592बरामदशुदा रिश्वत राशि नोट 30000 रूपये पर कपडे की चिट लगाकर चिट पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एन-1 से चिन्हित किया जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत की कार्यवाही के दौरान गवाहान की उपस्थिति मे जामा तलाशी लिवायी गई तो श्री प्रजापत की पहनी हुयी पेन्ट की सामने की बायीं जेब मे एक पर्स व मोबाईल फोन विवो कम्पनी का बरंग काला होना पाया गया। आरोपी के पास मिले पर्स की तलाशी ली गयी तो उसमे 490 रूपये नगद, आधार कार्ड, एसबीआई बैंक एटीएम कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, वाहन संख्या आरजे-01बीएस-5630 की आर0सी0 होना पायी गयी। उक्त नगद राशि के सम्बन्ध मे श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत से पूछताछ की गयी तो उसने उक्त राशि अपने स्वयं के निजी खर्च हेतु रखी जाना अवगत कराया तथा अपने मोबाईल फोन मे दो सिम कार्ड होना बताकर एक सिम जियो कम्पनी की नम्बर व अन्य सिम वोडाफोन कम्पनी की होकर नम्बर होना अवगत कराया। जो गवाहान की उपस्थिति मे आरोपी द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के आधार पर नगद राशि मय दस्तावेज व मोबाईल फोन आरोपी को सुरक्षित सुपुर्द किये गए। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के तहत श्री सुवालाल रावत सैल्समेन ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल की जामा तलाषी गवाहान से लिवायी गई तो सुवालाल के पहने हुए शर्ट की सामने की बायीं जेब मे एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी का होकर बरंग काला जिसमे एक सिम कार्ड जीओ कम्पनी होना अवगत कराया। उपरोक्त जामा तलाशी मे पाये गये मोबाईल फोन श्री सुवालाल रावत को लौटाया गया तथा तलाशी मे किसी प्रकार की कोई नगद राशि नहीं होना पायी गयी। श्री सुवालाल रावत के ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि 30000 रूपये राशि के बरामद होना पाये जाने से अग्रिम ट्रेप प्रकियानुसार श्री सुवालाल रावत के वरवक्त शरीर पर पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब के धोवण का मिश्रण प्राप्त किया जाना आवश्यक होने से श्री सुवालाल रावत सैल्समेन के लिये अन्य पेन्ट की व्यवस्था कर पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर पुलिस चोकी बान्दनवाडा पुलिस थाना भिनाय से एक साफ जग मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स मे से एक पारदर्शी प्लास्टिक का गिलास निकलवाया गया। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को साफ पानी से धुलवाया गया। पारदर्शी गिलास मे आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास के घोल में श्री सुवालाल रावत के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो साफ कांच की शीशियो को साफ कर प्राप्त धोवण को दो शीशीयो में आधा-आधा भरकर सीलड चिट किया जाकर क्रमंशः मार्क पी-1 व पी-2 से चिन्हित कर चिट

व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। प्रयुक्त किये गये पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को मौके पर नष्ट कराया गया। उक्त बरामदशुदा पेन्ट बरंग काला जिसके सामने की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उक्त पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को सुखाकर जेब पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट की तह बनाकर पेन्ट को एक कपडे की थैली मे सिल्डचिट कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "पी" से चिन्हित कर पेन्ट पैकेट को कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत सहायक व्यवस्थापक को परिवादी की पत्नि एवं उसके परीवारजनों के नाम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे पर मिलने वाली बीमा मुआवजा राशि के कार्य के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर बताया कि परिवादी की पत्नि व उसके पिता के नाम से गत वर्ष की फसल खराबा बीमा योजना की राशि स्वीकृत होकर उनके को-आपरेटिव सोसायटी के बैंक खाते मे जमा हो चुकी है तथा इस वर्ष का श्री मंगलाराम गुर्जर के पिता बालु-मगना के नाम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2024-25 का बीमा मंगलाराम द्वारा मेरी पीएमएफबीवाई की आई0डी0 से किया गया है, जो उसकी प्रति कार्यालय के कम्प्यूटर मे आनलाईन दर्ज है। परिवादी के पिता श्री बालु मगना के नाम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीब की फसल का बीमा मेरी स्वयं की पीएमएफबीवाई से किया गया है, जो आन-लाईन दर्ज है, उसकी प्रति अध्यक्ष श्री मदनलाल रावत धातोल ग्राम सेवा सहकारी समिति से प्राप्त की जा सकती है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री मदनलाल रावत अध्यक्ष से वार्ता कर परिवादी के पिता श्री बालु मगना की फसल बीमा योजना की प्रति चाही गयी, जो उनके द्वारा प्रमाणित कर स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की प्रस्तुतशुदा दस्तावेज के सम्बन्ध मे आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर के पिता श्री बालुमगना की वर्ष 2024 का बीमा मेरी कार्यालय की आईडी से किया गया है, जो उसमे अभी बीमा राशि आना शेष है। श्री मदनलाल द्वारा प्रस्तुत फसल बीमा योजना की प्रमाणित प्रति पेज 1 से 3 पर सम्बन्धित गवाहान व आरोपी के हस्ताक्षर कराये जाकर कब्जे एसीबी ली गयी। बाद कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस मय आरोपी, हमराहियान स्टाफ व गवाहान के पुलिस चैकी बांदनवाडा से समय करीब 05.00 पीएम पर रवाना होकर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल पहुच कार्यालय मे लगे हुए सी0सी0 टीवी केमरे की डीवीआर को पृथक से जरीए फर्द जब्त किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। दौराने कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी परमेश्वर कुमार प्रजापत को दिनांक 03.1.26 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के समय हुई दर्ज वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर मे मैमोरी कार्ड संधारित कर गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी को सुनाई गई तो आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत ने दर्ज आवाज मे से एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज परिवादी श्री मंगलाराम गुर्जर व अन्य तीसरी आवाज सुवालाल रावत सैल्समेन की होना स्वीकार किया। वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के समय दिनांक 03.01.26 को दर्ज की गई वार्ताओं की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की जावेंगी। आरोपी परमेश्वर कुमार प्रजापत हाल सहायक व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल पंचायत समिति, तहसील भिनाय, जिला अजमेर का जुर्म प्रमाणित पाये जाने से आरोपी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी के निवास की खाना तलाशी के लिए उच्चाधिकारीयो के निर्देशानुसार श्री बच्छराज सिंह उ.नि को निर्देषित किया गया जिसकी फर्द खाना तलाशी पृथक से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जावेंगी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी कार्यालय के श्री अजीत सिंह कानि 05 एसीबी स्पेशल यूनिट अजमेर के द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन मे मैमे०ारी कार्ड संधारित कर करवाई जाकर मूल मैमोरी कार्ड की हैश-टेग वैल्यू निकाली जाकर शामिल कार्यवाही की गई। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के लेप-टाप की सहायता से दो पैन-ड्राईव पृथक से तैयार किये गये। जिनमे से मूल मैमोरी कार्ड माननीय न्यायालय हेतु तथा एक पैन ड्राईव आरोपी हेतु पृथक पृथक कपडे की थैलीयो मे सिल्डचिट कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया शेष अन्य एक पेन-ड्राईव को कागज के लिफाफे मे रखकर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया।उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री मंगलाराम पुत्र श्री बालुराम जाति गुर्जर उम्र 36 वर्ष निवासी गुर्जरो का मौहल्ला धातोल तहसील भिनाय पंचायत समिति घातोल जिला अजमेर की पत्नि श्रीमती सायरी देवी व उसकी स्वयं की पुष्तैनी कृषि भूमि का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2024-25 का फसल बीमा योजना की बीमा राषि पारित करवाये जाने की एवज मे आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत सहायक व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल पंचायत समिति व तहसील भिनाय, जिला अजमेर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी से वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.12.25 को 30,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग किया जाना तय होना पाये जाने से आज दिनांक 03.01.26 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत द्वारा परिवादी से आज दिनांक को रिश्वत राशि मांग के अनुसरण मे वैध पारिश्रमिक भत्ते के अतिरिक्त 30,000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने हाथो से गिनकर अपने अधिनस्थ सैल्समेन श्री सुवालाल रावत को गिनने हेतु दी गई, जो रिश्वत राशि सुवालाल रावत द्वारा गिनकर श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत सहायक व्यवस्थापक के कहेनुसार अपनी पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखी होना पाया जाने से वरवक्त ट्रेप कार्यवाही 30,000 रू0 की राशि श्री सुवालाल रावत की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद की गई है। श्री सुवालाल रावत द्वारा प्राप्त की गयी रिश्वत राषि 30,000 रू0 के सम्बन्ध मे दौराने स्पष्टीकरण श्री सुवालाल रावत को किसी प्रकार की जानकारी नहीं होने के तथ्य प्रकट होना पाये जाने से

दौराने अनुसंधान पृथक से उसकी भूमिका स्पष्ट होगी। दौराने ट्रेप कार्यवाही रिष्वत राषि आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत सहायक व्यवस्थापक के दोनो हाथो की अंगुलियो व अंगूठो के धोवन एवं श्री सुवालाल रावत सैल्समेन ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल के वरवक्त शरीर पर पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब एवं दोनो हाथो की अंगुलियों-अंगूठे के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ है।इस प्रकार आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत पुत्र श्री जेठमल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 32 वर्ष निवासी रैण गेट वार्ड नं0 21, कैलाशपुरी भिनाय, जिला अजमेर हाल सहायक व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल पंचायत समिति व तहसील भिनाय, जिला अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया गया हैं। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।(नरेन्द्र सिंह राठौड)निरीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,स्पेशल यूनिट-अजमेर।......कार्यवाही पुलिस....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री परमेश्वर कुमार प्रजापत पुत्र श्री जेठमल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 32 वर्ष निवासी रैण गेट वार्ड नं0 21, कैलाशपुरी भिनाय, जिला अजमेर हाल सहायक व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल पंचायत समिति व तहसील भिनाय, जिला अजमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 88 पर अंकित है।(पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 33-36 दिनांक 06.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- अध्यक्ष, धातोल ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, धातोल, पंचायत समिति-भिनाय, जिला अजमेर 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KALPANA SOLANKI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 0 1/2026 4

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)